विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा. सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या:06 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>6-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में देशी शराब/अंग्रेजी शराब की कुल कितनी दुकानें है ?</td><td>जी हाँ। जनपद वाराणसी में वर्तमान में मदिरा की दुकानों की संख्या निम्नवत हैः-
<table><tr><th>दुकानों का प्रकार</th><th>दुकानों की संख्या</th></tr><tr><td>देशी शराब</td><td>381</td></tr><tr><td>अंग्रेजी शराब</td><td>184</td></tr><tr><td>बीयर</td><td>164</td></tr><tr><td>माडलशाप</td><td>13</td></tr><tr><td>योग</td><td>742</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(ख) उक्त दुकानों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ?</td><td>जनपद वाराणसी में मदिरा की दुकानों से हुई बिक्री एवं लाइसेंस फीस आदि मदों से 31 जनवरी, 2023 तक कुल रूपया 917.12 करोड़ राजस्व प्राप्ति आंगणित की गयी है।</td></tr>
<tr><td>(ग) क्या धार्मिक स्थल होने के कारण उक्त दुकानों की संख्या को कम किये जाने की कोई कार्ययोजना है ?</td><td>शासन द्वारा वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति घोषित की जा चुकी है, जिसमें जनपद वाराणसी में आबकारी दुकानों की संख्या को कम करने का कोई प्राविधान नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(घ) यदि नहीं, तो क्यों?</td><td>उपरोक्तानुसार।</td></tr>
</table>

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।